

I/23302/2022

बिहार सरकार  
बिहार रुरल डेवलपमेंट सोसाईटी  
(ग्रामीण विकास विभाग)

प्रेषक,

दिनांक:-**10/05/2022**

सी०पी० खण्डूजा,  
आयुक्त, मनरेगा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
रोहतास, बिहार।

विषय :- रोहतास जिले के 213 काराकाट विधानसभा अंतर्गत विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन मनरेगा से कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- श्री अरुण सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा के पत्रांक 46/आ 0 का 0 दिनांक 31-03-2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है की रोहतास जिले अंतर्गत 213 काराकाट विधानसभा अंतर्गत तीन प्रखंडों यथा- काराकाट, बिक्रमगंज एवं संझौली प्रखण्ड अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से निम्नलिखित कार्यों का क्रियान्वयन कराए जाने का अनुरोध किया गया है :-

**(1) प्रखण्ड-काराकाट:-**

- (क) किरही पंचायत के किरही गाँव के पूरब में स्थित पोखर का जीर्णोद्धार कार्य।
- (ख) चिकसिल पंचायत के कुरुर ग्राम में +2 विधालय का क्रीडा क्षेत्र सहित विधालय का चाहरदिवारी कार्य।
- (ग) बारडीह पंचायत के श्रीनगर (सुकहरा) +2 विधालय के खेल मैदान में मिट्टी भराई कार्य।

**(2) प्रखण्ड-बिक्रमगंज :-**

- (क) कुसुमहरा पंचायत के कुसुमहरा +2 विधालय के चाहरदिवारी का कार्य।
- (ख) घोषियां कला पंचायत के घोषियां बाल पर स्थित क्रीडा क्षेत्र में मिट्टी भराई कार्य।

**(3) प्रखण्ड- संझौली :-**

- (क) संझौली प्रखण्ड के पंचायत संझौली के शिव सरोवर का जीर्णोद्धार कार्य।
- (ख) संझौली पंचायत के तेन्दूआ ग्राम में उत्कर्मित मध्य विधालय के खेल मैदान में मिट्टी भराई एवं चाहरदिवारी कार्य।

ज्ञातव्य है की मनरेगा अंतर्गत सरकारी विद्यालय का चाहरदिवारी निर्माण एवं मिट्टी भराई, पोखर/सरोवर का जीर्णोद्धार कार्य मनरेगा के अनुमान्य कार्यों की श्रेणी में शामिल है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है की प्रासंगिक पत्र में वर्णित कार्यों का क्रियान्वयन नियमानुकूल मनरेगा अंतर्गत कराये जाने के संबंध में अग्रत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। साथ ही इस संबंध में किये गये कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

Signed by C P Khanduja

Date: 10-05-2022 14:46:52

Reason: Approved (सी०पी० खण्डूजा)

आयुक्त मनरेगा

प्रतिलिपि:-

1. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, रोहतास को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आस सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सदस्य, बिहार विधान सभा  
सदस्य, गैर सरकारी विधेयक एवं  
संकल्प समिति,  
सदस्य, सामान्य प्रयोजन समिति, पटना।



आवास :-

4, स्पेशल फैमिली टाईप  
आर0 ब्लॉक, पटना - 800001  
क्षेत्र सं0 - 213 काराकाट,  
रोहतास (सासाराम)  
दूरभाष :- 0612 - 2220368  
मोबाईल :- 9631775109

पत्रांक : 46/3716 का।

दिनांक : 31/03/2022

सेवा में,

माननीय मंत्री महोदय,  
ग्रामीण विकास विभाग,  
बिहार सरकार,  
पटना।

विषय :- 213 काराकाट विधानसभा अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन का  
अनुरोध।

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि रोहतास जिला के 213 काराकाट विधानसभा  
अन्तर्गत तीन प्रखण्ड आते हैं। जिसमें काराकाट, बिक्रमगंज एवं संझौली प्रखण्ड है। इन तीनों  
प्रखण्डों में निम्नलिखित कार्य कराना अतिआवश्यक है।

#### प्रखण्ड-काराकाट

- किरही पंचायत के किरहीं गाँव के पूरब में स्थित पोखर का जिर्णोद्धार कार्य।
- चिकसिल पंचायत के कुरुर ग्राम में +2 विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र सहित विद्यालय का चाहर  
दिवारी कार्य।

बाराडीह पंचायत के श्रीनगर (सुकहरा) +2 विद्यालय के खेल मैदान में मिट्टी भराई कार्य

#### प्रखण्ड-बिक्रमगंज

- कुसुम्हरा पंचायत के कुसुम्हरा +2 विद्यालय के चाहर दिवारी का कार्य।
- घोषियां कला पंचायत के घोषियां बाल पर स्थित क्रीड़ा क्षेत्र में मिट्टी भराई कार्य।

#### प्रखण्ड-संझौली

- संझौली प्रखण्ड के पंचायत संझौली के शिव सरोवर का जिर्णोद्धार कार्य।
- संझौली पंचायत के तेन्दूआ ग्राम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के खेल मैदान में मिट्टी भराई  
एवं चाहर दिवारी कार्य।

अतः उपरोक्त कार्य कराने संबंधी आदेश प्रदान करने की कृपा की जाय।

भवदीय

(अरुण सिंह)

स०वि०स०



मंत्री कोषांग  
ग्रामीण विकास विभाग  
पि०स०प्रे०सं० 299/ग्रा०वि०  
दिनांक 31/3/22

1890  
08-4-22